B-II
L-19
Polity

सम्पत्ति के अधिकार

संविधान में संशोधन ⇓

Ⓐ अनुच्छेद-31(A), 31(B)

Ⓑ 31(B) – 9th

Ⓒ 25th – 31(C)

न्यायालय के निर्णय ⇓

① शंकरी प्रसाद वाद

② सज्जन सिंह वाद

③ गोलकनाथ वाद

④ केशवानन्द भारती वाद

⑤ मिनर्वा मिल्स वाद

सम्पत्ति के अधिकार पर विवाद →

• भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा मूल-अधिकारों के माध्यम से नागरिकों के अधिकार को प्राथमिकता दी गई, जिसके लिए सम्पत्ति के अधिकार को भी स्थापित किया गया अनुच्छेद-19(1)(f) में यह उल्लेखित किया गया कि किसी भी नागरिक को सम्पत्ति अर्जित करने और सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार होगा।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

• इसके अतिरिक्त अनुच्छेद - 31 में यह भी उल्लेख किया गया कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित किया जाएगा, जिसके लिए निम्न-लिखित 2 शर्तें भी आरोपित कर दी गई -

i) सम्पत्ति का अर्जन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए।

ii) इसके लिए व्यक्ति को मुआवजा देना भी आवश्यक है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

सम्पत्ति का अधिकार और समाजवादी आदर्शों के बीच टकराव →

संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद - 39 (B) (C) को क्रियान्वित करने के लिए भूमि सुधार अधिनियमों का निर्माण राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया गया तथा सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता की आर्थिक प्रणाली अपनाते हुए राज्य के द्वारा अनेक सार्वजनिक उपक्रमों की

स्थापना की गयी और व्यक्तियों की सम्पत्ति भी अधिग्रहित की गई।

सरकार और राज्य की इन नीतियों के विरुद्ध नागरिकों ने मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

- नागरिकों के सम्पत्ति के अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच टकराव की स्थिति में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वाद में पहले संविधान संशोधन को संवैधानिक माना, जिसके स्पष्ट अभिप्राय है कि अनुच्छेद-39 (b)(c) को लागू करने के लिए अनुच्छेद-19 और 31 को सीमित किया गया, परिणामस्वरूप 31(a) और 31(b) जोड़ा गया।
- 31(a) के अनुसार राज्य किसी भी रियासत को नियंत्रित कर सकता है।
- राज्य के द्वारा किसी कारखाने या निगम पर अपना स्वामित्व स्थापित किया जायेगा।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- दो या दो से अधिक कारखानों या निगमों का विलय किया जाएगा।

- किसी निगम के प्रबन्ध हेतु उसमें कार्य करने वाले सचिव, कोषाध्यक्ष और निदेशक को बदला जा सकता है तथा उस निगम में शेयर धारकों के हिस्से और उसके मतदान के अधिकार को भी परिवर्तित किया जायेगा इन्हें इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि ये सम्पत्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं।

- 31(a) में यह भी उल्लेखित था कि राज्य के द्वारा किसी भी खनिज संसाधन अथवा खानों के लिए किए गए लाइसेंस, लीज या समझौते को रद्द किया जा सकता है।

पहले संविधान संशोधन के द्वारा 31(a) के साथ 31(b) को भी शामिल किया गया और 31(b) के द्वारा

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Trusted Learning Platform KHAN SIR

नवीन सूची का निर्माण किया गया। जो केवल भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलो-कन से बचाने के लिए था।

- नवीन सूची में रखी गई किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि इन विधियों से मूल अधिकार के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है। अत: नवीन सूची से राज्यों के भूमि सुधार के रास्ते साफ हो गए।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

सम्पत्ति का अधिकार और गोलकनाथ वाद→

———×———×———

गोलकनाथ वाद में 11 न्यायाधीशों की बेंच थी जिसमें 17 वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई थी जिसके द्वारा पंजाब के भूमि सुधार अधिनियम को नवीन सूची में रखा गया था।

उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के

निर्णयों को परिवर्तित करते हुए एक ऐतिहा-
-सिक फैसला सुनाया जिसके मूल बिन्दु निम्न
लिखित हैं:-

i) मूल अधिकारों का संसोधन हो सकता है या नहीं।

ii) अनुच्छेद 368 में संविधान संसोधन की प्रक्रिया है या शक्ति है।

iii) क्या संसद की विधायी और संविधायी शक्ति में कोई अंतर है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

क्या मूल अधिकारों का संसोधन संभव है? →

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाग III में उल्लिखित मूल अधिकार अत्याधिक पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। जिन्हें संविधान संसोधन द्वारा भी छीनना संभव नहीं है अतः मूल-अधिकार संसोधन से परे हैं। संविधान के

अन्य भागों का संसोधन हो सकता है। इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार इस निर्णय के पहले जिन मूल अधिकारों का संसोधन किया गया है वे प्रभावित नहीं होंगे। अतः भविष्य में मूल अधिकारों के संसोधन नहीं होंगे।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR